भारत का राजपत्र
असाधारण भाग III खंड IV में प्रकाशनार्थ हेतु
भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
22 **सितंबर 2021, मुंबई**

सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मानदंड एवं परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

सं. आईडीएमडी. सीडीडी. एस 788/11.22.001/2021-22- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) (अधिनियम) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) एतदद्वारा सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) को खोलने और बनाए रखने के लिए अब से लागू शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

I. सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों में धारिता अथवा लेन-देन के लिए बैंक के पास खोला और रखा गया खाता।

II. बैंक यथावश्यक अपने परिचालन और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसे बैंक आवश्यक समझता है, एसजीएल खातों को खोल सकता है और बनाए रख सकता है।

III. पात्र संस्थाएं:

निम्नलिखित संस्थाएं बैंक में एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए पात्र हैं-

i. लाइसेंसीकृत बैंक
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I (सी) (ii) के अनुसार परिभाषित वित्तीय संस्थाएं
iv. केंद्र सरकार
v. राज्य सरकारें
vi. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कंपनियाँ
vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नियमित म्युचुअल फंड
viii. भविष्य एवं पेंशन निधि और पेंशन निधि प्रबन्धक
ix. बैंक के पूर्वानुमोदन से विदेशी केंद्रीय बैंक
x. निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार
xi. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)
xii. बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत ऐसी अन्य संस्थाएं।

IV. एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए शर्तें:

i. एक पात्र संस्था को, सामान्य परिस्थितियों में, केवल एक एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त एसजीएल खातों को खोलने की अनुमति दे सकता है। एसजीएल खाता आरबीआई के द्वारा समय-समय पर निर्धारित लोक ऋण कार्यालय में खोला जा सकता है।

ii. ऐसे मामले जहां खाते विनियामकीय/मार्जिन को रखने के प्रयोजन से खोले जाने अपेक्षित हैं, को छोड़कर, बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बिना कोई एसजीएल खाता धारक किसी ग्राहक सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) के साथ

ग्राहक खाता को खोलने के लिए पात्र नहीं होगा।

iii. बैंक से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करके एसजीएल से संबन्धित लेन-देन के संबंध में राशियों के निपटान हेतु एसजीएल खाताधारक को बैंक के साथ चालू खाता रखने की अनुमति दी जा सकती है। एसजीएल खाता धारक के पास किसी भी निर्धारित निपटान बैंक में निपटान खाता रखने का भी विकल्प है।

iv. एसजीएल खाता खोलने वाली संस्था को आवेदन फॉर्म, क्षतिपूर्ति बॉन्ड और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

v. दिशानिर्देशों के पैराग्राफ vi में उल्लिखित प्रावधान को छोड़कर, एसजीएल खाते से/को प्रतिभूति का अंतरण, सुपर्दगी बनाम भुगतान आधार पर होगा।

vi. मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी): इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण का तात्पर्य आरबीआई के बही खाता में प्रतिभूतियों का एक एसजीएल खाते से अन्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में अंतरण बिना संबन्धित भुगतान के होंगे। प्रतिभूतियों का मूल्यनिरपेक्ष अंतरण बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से एसजीएल धारकों द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

vii. एसजीएल खाते को खाता धारक द्वारा एक अनुरोध प्रस्तुत करके बंद किया जा सकता है, जिसमें बंद करने का कारण दिया गया हो, और एसजीएल खाते में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में बैंक द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई का उल्लेख हो।

viii. एसजीएल धारक सतत आधार पर इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान होंगे। इस प्रभाव के लिए घोषणा पीडीओ, मुंबई को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

ix. बैंक, एसजीएल खाता धारक को एसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या ब्योरे अथवा एसजीएल खाते में लेनदेन से संबंधित सूचना या ब्योरे किसी भी समय ऐसे फॉर्म में, किसी भी समय-अंतराल पर और किसी अवधि में, ऐसे विवरणों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकता है।

x. संबंधित संस्था द्वारा एसजीएल सुविधा का किसी प्रकार के दुरुपयोग पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में उपलब्ध दंडों के अलावा अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट ऐसे खाते को धारण करने से उस संस्था को रोक दिया जाएगा।

xi. रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित अथवा देश की वित्तीय प्रणाली के हित में ऐसा करना अनिवार्य है, किसी भी एसजीएल खाताधारक या एसजीएल खाताधारकों की किसी श्रेणी को या तो सामान्य तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए, इसके द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए उचित और सही समझी गई शर्तों या निबंधनों या सीमाओं या प्रतिबंधों के तहत इन निदेशों के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकता है।

xii. ये दिशानिर्देश बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 1078 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण - भाग III - खंड 4) के माध्यम से जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

(आर सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत का राजपत्र

असाधारण

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

22 सितंबर 2021, मुंबई

ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मानदंड और परिचालन संबंधी दिशनिर्देश

सं. आईडीएमडी.सीडीडी.एस788/11.22.001/2021-22.– सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 की 38) (अधिनियम) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक(बैंक) एतद्द्वारा ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) खोलने और उसे बनाए रखने के साथ उसके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सीएसजीएल खाताधारकों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए अब से लागू शर्तों को निर्दिष्ट करता है

I. ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) का तात्पर्य किसी एजेंट द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से बैंक के साथ खोला गया और बनाए रखा जाने वाला सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) होगा;

II. बैंक, अपने परिचालनों और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सीएसजीएल खाता खोल सकता है और बनाए रख सकता है।

III. पात्र संस्थाएं:

निम्नलिखित संस्थाएं अपने ग्राहकों की ओर से बैंक में सीएसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए पात्र हैं, जिन्हें गिल्ट खाता धारक (जीएएच) के नाम से भी जाना जाता है:

i. लाइसेन्सीकृत बैंक जिनकी कुल न्यूनतम मालियत 100 करोड़ रुपए हो
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी
iii. निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार
iv. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड अथवा बैंक द्वारा यथाअनुमोदित अन्य समाशोधन निगम
v. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
vi. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)
vii. बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत ऐसी अन्य संस्थाएं

IV. सीएसजीएल खाता धारकों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले परिचालन संबंधी दिशानिर्देश:

i. एक पात्र संस्था को, सामान्य परिस्थितियों में, केवल एक सीएसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त सीएसजीएल खातों को खोलने की अनुमति दे सकता है। किसी ग्राहक को बैंक के साथ एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने करने की अनुमति नहीं है। (बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बाद अथवा विनियामकीय/मार्जिन के प्रयोजन से खोले गए एसजीएल खाता को छोड़कर)।

ii. सीएसजीएल खाताधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन ग्राहकों के लिए गिल्ट खाते खोले/बनाए रखे जाते हैं, वे सरकार द्वारा जारी सामान्य ऋण अधिसूचनाओं तथा विशिष्ट ऋण अधिसूचनाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं ।

iii. सीएसजीएल खाता धारक जो बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, समय-समय पर यथालागू बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (नो योर कस्टमर)' संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। अन्य सीएसजीएल खाता धारकों को उनके संबंधित विनियामकों द्वारा जारी केवाईसी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। सीएसजीएल धारक के साथ खोले गए गिल्ट खातों की एक अलग विशिष्ट संख्या होगी।

iv. किसी ग्राहक को किसी भी सीएसजीएल खाता धारक के साथ एक या एक से अधिक गिल्ट खाता खोलने की अनुमति है। यह अनुमति ग्राहक के संबंधित विनियामकों जैसे सेबी, आईआरडीए, पीएफ़आरडीए आदि द्वारा उनके परिचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों, यदि कोई हो, के अधीन होगी।

v. दिशानिर्देशों के पैराग्राफ vi में उल्लिखित प्रावधान को छोड़कर, सीएसजीएल खाते से/को प्रतिभूतियों का अंतरण सुपुर्दगी बनाम भुगतान के आधार पर होगा।

vi. मूल्य निरपेक्ष अंतरण(वीएफटी) - इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण का तात्पर्य आरबीआई के बही खाता में प्रतिभूतियों का एक सीएसजीएल खाते से अन्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में अंतरण बिना संबन्धित भुगतान के होंगे। सीएसजीएल धारकों द्वारा प्रतिभूतियों का मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से प्रभावी किया जाएगा।

vii. सीएसजीएल खाताधारकों के पास खातों को रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की उपयुक्त ढांचा होना चाहिए और अपने ग्राहकों की ओर से सौदा करने के लिए पर्याप्त आकस्मिक/बैक-अप योजना हो ताकि कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। आईटी ढांचे की प्रत्येक वर्ष प्रमाणित पेशेवरों द्वारा लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो उसका तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

viii. सीएसजीएल खाताधारक अपने ग्राहकों के साथ एक करार निष्पादित करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनके तहत वे प्रतिभूतियों को स्वीकार/जारी करेंगे और ग्राहकों की ओर से निधि स्वीकार/जारी करेंगे, साथ ही ग्राहकों के अधिकार और दायित्व और ग्राहकों को उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का भी उल्लेख होगा।

ix. सीएसजीएल खाताधारक यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों से संबंधित सौदे/ लेनदेन संबंधित ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे और अपने ग्राहकों से प्राप्त ऐसे निर्देशों के उचित अभिलेख रखेंगे। तदनुसार, सीएसजीएल खाता धारक सीएसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियों को समंजित करने अथवा अन्यथा ग्राहक से लिखित सहमति के बिना उनके द्वारा देय किसी भी राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उक्त खाते के प्रयोग से परहेज़ करेंगे।

x. सीएसजीएल खाताधारक, सीएसजीएल खाता से/को सरकारी प्रतिभूतियों की आवाजाही के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार होगा और ग्राहक या बैंक द्वारा मांगे जाने पर सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराएगा।

xi. सीएसजीएल खाता धारक लेनदेन की तारीख को संबंधित ग्राहकों के मार्फत की गई प्रत्येक खरीद /बिक्री संबंधी लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची जारी करेंगे/पोस्ट करेंगे, जिसमें सौदे के विवरण जैसे- आईएसआईएन, लिखत का नाम, खरीद/बिक्री की मात्रा, खरीद/बिक्री मूल्य, सेवा शुल्क इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा, सीएसजीएल खाताधारक करार के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के विशेष अनुरोध पर भी प्रत्येक ग्राहक को सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया/लेनदेन विवरण का उल्लेख करते हुए जानकारी भेजेगा और ग्राहक से शेष की पुष्टि संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

xii. सीएसजीएल खाताधारक ग्राहक के निधि खाते में देय तिथि पर ब्याज/शोधन आय की देय राशि के साथ जमा करेगा और सत्यापन के लिए इसका उचित अभिलेख रखेगा।

xiii. सीएसजीएल खाताधारक, ग्राहक की ओर से किए गए प्रत्येक सौदे के निपटान के लिए उत्तरदायी होगा और प्रतिभूतियों/निधियों में किसी भी कमी को एसजीएल खाता का सौदा माना जाएगा जिसे सीएसजीएल खाताधारक द्वारा नकार दिया गया हो। इसके अलावा, सीएसजीएल खाता धारक, ग्राहकों की ओर से किसी भी सौदे को प्रस्तुत करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के लेनदेन/सौदा करने के लिए पात्र है।

xiv. सीएसजीएल खाताधारकों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित भलीभांति प्रलेखित परिचालन मैनुअल होगा जिसमें डीलरों/मध्य-कार्यालय/बैक-ऑफिस की भूमिकाओं / जिम्मेदारियों और ग्राहक की तरफ से उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए परिणामी नियंत्रण और संतुलन का उल्लेख किया गया हो ताकि इस तरह के संरक्षकीय व्यवसाय से सीएसजीएल खाताधारक के साथ-साथ ग्राहकों को उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को दूर किया जा सके।

xv. सीएसजीएल खाता धारक ई-कुबेर डेटा एवं उनके द्वारा रखे जा रहे ग्राहक-वार धारिता ब्योरे की तुलना के अनुसार उनके सीएसजीएल खाते में बकाया शेषों के दैनिक समाधान करके सुनिश्चित करेंगे। बकाया शेष राशि में किसी भी विसंगति को तत्काल ई-कुबेर हेल्पडेस्क, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) और लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) मुंबई की जानकारी में लाया जाएगा ताकि अगले दिन के अंत से पहले शेष राशि का समाशोधन किया जा सके।

xvi. सीएसजीएल खाता धारकों को अपने सीएसजीएल खाते के परिचालन तथा अपने ग्राहकों के गिल्ट खातों में लेनदेन को अपने समवर्ती लेखा परीक्षकों के दायरे में लाना होगा, जो सीएसजीएल खातों के लेनदेन संबंधी अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पहलुओं को सत्यापित करेंगे और अपनी टिप्पणी देंगे:

क) ग्राहक के खाता को खोलने के लिए दस्तावेजों को पूरा करना;
ख) संबन्धित ग्राहक द्वारा सीएसजीएल खाते में प्रत्येक लेन-देन का प्राधिकार और नियत तारीख पर ग्राहक के गिल्ट खाते में खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को जमा/नामे करना;
ग) प्रत्येक लेन-देन हेतु ग्राहकों के लिए समय-समय पर नामे/जमा सूचना जारी करना;
घ) दैनिक आधार पर ग्राहक-वार धारिता के विवरण की तुलना में सीएसजीएल खाते में बकाया शेष का समाधान;
ङ) छमाही आधार पर ग्राहक से शेष की पुष्टि के संबंध में प्रमाणपत्र की प्राप्ति;
च) नियत तारीख पर ग्राहक के निधि खाते में ब्याज/मोचन से प्राप्त राशि को जमा करना; और
छ) बैंक द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों की पात्रता सुनिश्चित करना, सौदा/लेन-देन को पूरा करना और लेन-देन का मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुरूप होना।

xvii. सीएसजीएल खाता धारक बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को त्रैमासिक आधार पर या उससे भी कम अंतराल पर सीएसजीएल खाते के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। सीएसजीएल खाताधारक एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए दैनिक समाधान संबंधी कार्रवाई को बोर्ड की लेखा-समिति, लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई (pdomumbai@rbi.org.in).के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

xviii. बैंक, सीएसजीएल खाता धारक को किसी भी समय ऐसे फॉर्म में, किसी अंतराल पर और किसी भी अवधि में, ऐसी जानकारी, सीएसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या विवरण एसजीएल खाते में लेन-देन के साथ ग्राहकों के लेन-देन को बैंक को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकता है।

xix. सीएसजीएल खाताधारक अनुलग्नक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्राहक-वार धारिता विवरण, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई - 400001 को तिमाही आधार पर (ईमेल आईडी: cgmidmd@rbi.org.in) 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, अगले महीने के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत करेंगे।

xx. सीएसजीएल खाताधारकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को ब्रोकर्स सहित ग्राहकों की ओर से सीएसजीएल खाते में निवेश की छमाही समीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग में प्रस्तुत करनी होंगी।

xxi. सीएसजीएल धारक सतत आधार पर इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान लागू होगा। इस आशय की घोषणा वार्षिक आधार पर पीडीओ, मुंबई को प्रस्तुत की जाएगी।

xxii. इन दिशानिर्देशों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, सीएसजीएल खातों के खोलने और बनाए रखने संबंधी नियमों और शर्तों का उल्लंघन या संबंधित संस्था द्वारा सीएसजीएल सुविधा का दुरुपयोग या समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में प्रवाधान किए गए दंड के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के पास अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित सीएसजीएल खाता धारक के अस्थायी या स्थायी निलंबन सहित कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

xxiii. रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित अथवा देश की वित्तीय प्रणाली के हित में ऐसा करना अनिवार्य है, किसी भी सीएसजीएल खाताधारक या सीएसजीएल खाताधारकों की किसी श्रेणी को या तो सामान्य तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए, इसके द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए उचित और सही समझी गई शर्तों या निबंधनों या सीमाओं या प्रतिबंधों के तहत इन निदेशों के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकता है।

xxiv. ये दिशानिर्देश बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 1078(भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण - भाग III-खंड 4) के माध्यम से जारी पूर्व दिशनिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

(आर सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

अनुबंध

----------को समाप्त तिमाही पर
गिल्ट खाते में रखी गयी सरकारी
प्रतिभूतियों के स्वामित्व स्वरूप का विवरण

सीएसजीएल खाता धारक का नाम:

सीएसजीएल खाता संख्या:

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	निवेशक समूह @	प्रतिभूति का प्रकार^	आईएसआईएन	अंकित मूल्य
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

@ वाणिज्यिक बैंक/ राज्य या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक/म्युचुअल फंड/बीमा कंपनियाँ/वित्तीय संस्थाएं/कॉर्पोरेटस/एचयूएफ़/व्यक्ति/एफ़पीआई/भविष्य निधियाँ/ अन्य

^ केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ/टी-बिल्स/राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ/अन्य (कृपया उल्लेख करें)